

(पात्रस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1988 के नियम 120 के अन्तर्गत)

स रेकार्ड में शक्ति कारन का प्रपत्र

क्र. सं.	खाला सं०	खसरा नंबर	रकबा	वर्तमान खाल का विवरण	प्रस्तावित प्रविष्टि	विधि
1.	2	3	4	5	6	7.
1	509	330	0.486	<p>भूखुला हुआ बालूनाम दस्ता - 1/8 जमीन-शान्ती दस्ता - 1/8 (अर्ध-खाल)</p>	<p>भूखुला हुआ बालूनाम दस्ता - 1/8 जमीन-शान्ती अर्ध-खाल (अर्ध-खाल)</p>	<p>118/2026</p>
		371	0.354	<p>भूखुला हुआ बालूनाम दस्ता - 1/8 (अर्ध-खाल)</p>	<p>भूखुला हुआ बालूनाम दस्ता - 1/8 (अर्ध-खाल)</p>	
		372	0.368	<p>भूखुला हुआ बालूनाम दस्ता - 1/8 (अर्ध-खाल)</p>	<p>भूखुला हुआ बालूनाम दस्ता - 1/8 (अर्ध-खाल)</p>	
		386	1.9220	<p>भूखुला हुआ बालूनाम दस्ता - 1/8 (अर्ध-खाल)</p>	<p>भूखुला हुआ बालूनाम दस्ता - 1/8 (अर्ध-खाल)</p>	

मुद्रांक भिसल / जमानदी तयार
2075 = 2078 के

उपरोक्तानुसार हिस्सा शुद्ध किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण अन्तर्गत खालों-138 राज० भू० राजस्व अधिनियम 1988 के अन्तर्गत शीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलपर के समक्ष शरण योग्य है।

पटवारी (भ. अ.)
पटवार महेश प्रकाश
तहसील भोखण्ड, सिविल

साथिक राजस्व रिकॉर्ड से मिलान किया गया। रिपोर्ट पटवारी पूर्ण है। अतः उपरोक्तानुसार खालों में शक्ति किया जाना उचित है।

पटवारी (भ. अ.)
पटवार महेश प्रकाश
तहसील भोखण्ड, सिविल

महलका अंश
भूखण्ड 221/1/1/1/1
को रिपोर्ट व साथिक रिकॉर्ड के मिलान के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्ध किया जाना उचित है। प्रकरण अन्तर्गत शीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलपर को सादर प्रेषित है।

पटवारी (भ. अ.)
पटवार महेश प्रकाश
तहसील भोखण्ड, सिविल

महलका अंश
भूखण्ड 221/1/1/1/1
को रिपोर्ट व साथिक रिकॉर्ड के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्ध किया जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। खाल तयार करने में जमानत किया जावे।

पटवारी (भ. अ.)
पटवार महेश प्रकाश
तहसील भोखण्ड, सिविल

तहसील अधिकारी
भू० राजस्व अधिकारी
आबूरोड (जिला-सिराहा)

उपखण्ड कार्यालय आबूरोड